फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्री विष्णु प्रकाश पिता नारायण लाल अहीर मु. पो. आलोद वाया बोहेड़ा, तहसील डूंगला

बनाम

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला वगैरा

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 49/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.2018	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलार्थी श्री विष्णु प्रकाश पिता नारायण लाल अहीर मु. पो. आलोद द्वारा सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 07.10.2017 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन से चाही गई सूचना राजस्व विभाग से संबंधित नहीं होने से अपीलार्थी का आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लो.सूअ/2017/1669 दिनांक 07.11.2017 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौड़गढ़ ने उक्त आवेदन धारा 6(3) के तहत विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला को तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला ने प्रस्तुत आवेदन से चाही गई सूचना ग्राम पंचायत पीरांना से संबंधित होने से धारा 6(3) के तहत ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पीराना को अपीलार्थी का आवेदन उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु स्थानान्तरित किया। लोक सूचना अधिकारी तथा ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत पीराना द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से ग्राम पंचायत, पीराना, पंचायत समिति, डूंगला से संबंधित सूचनाऐं चाही गई। ग्राम पंचायत, पीराना के लोक सूचना अधिकारी सचिव तथा अपीलीय अधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला है। यहां यह उल्लेखनीय है कि यह कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नही कराने पर ही अपील ग्रहण करता है। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, पीराना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते हैं। चूंकि लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत, पीराना लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) की श्रेणी में नही आते हैं, जिससे प्रस्तुत अपील पर इस कार्यालय द्वारा सुनवाई नही की जा सकती है। अतः अपीलार्थी को संबंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, डूंगला के यहां अपील प्रस्तुत करने तथा अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर में द्वितीय अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे।	